

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग  
जिला बैतूल (म.प्र.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

—: प्रशासनिक व्यवस्था : —

जिला स्तर	—	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास सहायक सांख्यिकी अधिकारी , लिपिक वर्ग, चतुर्थ वर्ग
विकासखंड स्तर	—	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना सहायक परियोजना अधिकारी , बाल विकास परियोजना सहायक सांख्यिकी अधिकारी , बाल विकास परियोजना लिपिक वर्ग, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी
सेक्टर स्तर	—	पर्यवेक्षक
ग्राम स्तर	—	आंगनवाडी कार्यकर्ता आंगनवाडी सहायिका

—: कार्यालय एवं संस्थाएँ :-

कार्यालय :-

□ जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग	—	01
□ एकीकृत बाल विकास परियोजनायें	—	10
□ सेक्टर मुख्यालय	—	76
□ आंगनवाडी केन्द्र	—	1583

संस्थाएँ :-

□ शासकीय महिला सिलाई कढ़ाई केन्द्र बैतूल	—	01
□ अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित महिला सिलाई कढ़ाई केन्द्र एवं बाल आश्रम तथा प्रशिक्षण केन्द्र	—	04


## पदो का विवरण :-

क्रँ	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	10000-15200	1	0	1
2	परियोजना अधिकारी ए.बा.वि.परि.	5500-9000	10	7	3
3	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500-9000	8	6	2
4	सहायक परियोजना अधिकारी	5000-8000	6	3	3
5	पोषण आहार निरीक्षक	4500-7000	1	0	1
6	अधीक्षिका सिलाई केन्द्र	4500-7000	1	0	1
7	सहायक ग्रेड- 1	4500-7000	8	8	0
8	वरिष्ठ निर्देशिका सिलाई केन्द्र	4000-6000	1	0	1
9	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	12	12	0
10	पर्यवेक्षक	4000-6000	76	50	26
11	ग्राम सेविका	4000-6000	8	9	-1
12	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	19	12	7
13	सहायक निर्देशिका सिलाई केन्द्र	3050-4590	2	1	1
14	ए.एन.एम.	3050-4590	1	1	0
15	वाहन चालक	3050-4590	11	11	0
16	भृत्य / चौकीदार	2550-3200	23	24	-1
17	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	कलेक्टर दर	7	5	2
18	आगंनवाड़ी कार्यकर्ता	मानदेय-1000 / -मेट्रिक नॉन मेट्रिक-938 / -	1583	1578	5
19	आगंनवाड़ी सहायिका	मानदेय-500 / - प्रतिमाह	1583	1574	9

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग  
जिला बैतूल (म.प्र.)


सूचना का अधिकार अधिनियम-2005  
संरचनात्मक ढांचा

(अ) कार्यालयीन ढांचा



## संरचनात्मक ढांचा

### (ब) क्षेत्रीय संस्थाओं का ढांचा



### कार्य एवं कर्तव्य :-

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये 10 बाल विकास परियोजनाओं में 1583 आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं एवं गर्भवती तथा शिशुवती माताओं को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी विभागीय योजनाओं के माध्यम से लाभांशित किया जाता है।

#### जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास -

- 1 प्रशासनिक कार्य।
- 2 जिले की परियोजनाओं एवं आंगनवाडी केन्द्रों को सुचारु रूप से संचालन करवाना एवं अन्य निरीक्षण।
- 3 विभिन्न विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना एवं अन्य निरीक्षण।

#### परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजनायें -

1. आंगनवाडी केन्द्रों का सुचारु संचालन।
2. आई.सी.डी.एस. की 6 सेवाओं का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करना।
3. विभागीय योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करना।

#### सहायक परियोजना अधिकारी -

1. परियोजना अधिकारी को कार्य में सहयोग।
2. आंगनवाडी केन्द्रों का सुचारु संचालन हेतु नियमित निरीक्षण एवं सलाह।
3. विभिन्न योजनाओं के प्रकरण तैयार करना एवं उन्हें लागू करना।

#### सहायक सांख्यिकी अधिकारी -

1. परियोजना अधिकारी को कार्य में सहयोग।
2. समस्त विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा करना एवं उन्हें लागू करवाना।
3. प्रगति प्रतिवेदनो की समीक्षा कर समस्या के निदान हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
4. आंगनवाडी केन्द्रों का सुचारु संचालन हेतु निरीक्षण एवं सलाह।

#### पर्यवेक्षक -

1. आंगनवाडी केन्द्रों का सुचारु संचालन।
2. आई.सी.डी.एस. की 6 सेवाओं का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करना।
3. विभागीय योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करना।
4. आंगनवाडी कार्यकर्ता को आवश्यक सुझाव देकर उनसे कार्य करवाना।

#### आंगनवाडी कार्यकर्ता / सहायिका -

1. आंगनवाडी केन्द्रों का सुचारु संचालन करना।
2. आई.सी.डी.एस. की 6 सेवाओं एवं विभागीय कार्यक्रमो/योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
3. अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमो का क्रियान्वयन करवाना।

### 5 निरीक्षण :-

#### जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास -

जिले के समस्त परियोजनाओ, पर्यवेक्षक सेक्टर, आंगनवाडी केन्द्रो तथा अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करना।

#### सहायक परियोजना अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी

पर्यवेक्षक सेक्टर,, आंगनवाडी केन्द्रो का निरीक्षण तथा अशासकीय संस्थाओं निरीक्षण।

#### पर्यवेक्षक -

आंगनवाडी केन्द्रो का निरीक्षण।

## कार्यालयीन कार्य एवं कर्तव्य विवरण :


क्रँ	नाम	पदनाम	कार्य दायित्व
1	श्री अशोक श्रीवास	सहा०सां०अधि०	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 मूल्यांकन शाखा (एम०पी०आर) की समीक्षा आदि करना।</li> <li>2 बैठक एवं कार्ययोजना आदि का पूर्ण संकलन करना व बैठको में उपस्थित होना।</li> <li>3 जनसंख्या नियंत्रण, परिवार परामर्श एवं लोक अदालत संबंधी नस्ती का संधारण इत्यादि।</li> <li>4 आर०डी०एस० एवं ग्राम सचिवालय आदि महत्वपूर्ण नस्तीयों का संधारण</li> <li>5 समस्त अभियान/शिविर आदि के आयोजनो का क्रियान्वयन।</li> <li>6 न्यायालयीन प्रकरण।</li> <li>7 आदिवासी/अनुसूचितजाति विकास से संबंधीत समस्त कार्य।</li> <li>8 अधिकारी द्वारा सौपे गये कार्य।</li> </ol>
2	श्री सूर्यकान्त बोरकुटे	सहा० ग्रेड 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 लेखा/आडिट संबंधी सम्पूर्ण प्रभार।</li> <li>2 अशासकीय संस्थाओं के आडिट निरीक्षण एवं अनुदान संबंधी कार्य।</li> </ol>
3	श्री अरुण कुमार जोशी	सहा० ग्रेड 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 स्थापना शाखा।</li> <li>2 भंडार शाखा।</li> <li>3 ग्राम्या योजना।</li> </ol>
4	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी	सहा० ग्रेड 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 आई०सी०डी०एस० शाखा।</li> <li>2 प्रशिक्षण शाखा।</li> <li>3 भवन निर्माण योजना।</li> <li>4 पेयजल/हेण्डपम्प।</li> <li>5 वाहन शाखा।</li> <li>6 लोकसभा/विधानसभा इत्यादि।</li> <li>7 सूचना का अधिकार एवं सिटीजन चार्टर शाखा।</li> </ol>

5	श्री अमोल कुमार दाभाडे	सहा0 ग्रेड 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 पोषण आहार शाखा ।</li> <li>2 निरीक्षण शाखा ।</li> <li>3 स्व सहायता समूह योजना ।</li> <li>4 अशासकीय संस्थाओं को विभागीय मान्यता कार्य ।</li> <li>5 एम0पी0आर0 डाटा एन्ट्री कार्य ।</li> <li>6 अयोध्या बस्ती ।</li> </ol>
6	श्रीमति मंजुला खडसे	ए0एन0एम0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 शिकायत शाखा ।</li> <li>2 महिला सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र ।</li> <li>3 विशेष पोषण आहार केन्द्रो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण ।</li> <li>4 आयुष्यमति, मेटरनिटी, अतिगरीब हेतु प्रसव पूर्व सहायता, किशोरी बालिका योजना, दीन दयाल उपचार योजना का क्रियान्वयन ।</li> <li>5 जनसमस्या निवारण/ 11 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन ।</li> </ol>
7	श्री नरेन्द्र कुमार मालवीय	सहा0 ग्रेड 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 जावक शाखा ।</li> <li>2 जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में विभागीय जॉच कार्य में सहयोग ।</li> <li>3 पुरस्कार ।</li> <li>4 समस्त समितियाँ ।</li> </ol>
8	सुश्री अरुणा आहाके	सहा0 ग्रेड 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 दत्तक पूत्री शिक्षा योजना ।</li> <li>2 बाल विवाह ।</li> <li>3 कम्प्यूटर/टायपिंग कार्य ।</li> <li>4 आवक शाखा ।</li> <li>5 दीन दयाल समर्थ योजना ।</li> </ol>

टीप :- उक्त समस्त कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यो के साथ साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा समय समय पर सौपे गये समस्त कार्यों को सम्पादित करना अनिवार्य होगा ।


## निर्णय प्रक्रिया :-

## (ब) क्षेत्रीय संस्थाओं की व्यवस्था




## निर्णय प्रक्रिया :-

## (ब) कार्यालयीन व्यवस्था



{ निर्णयकर्ता }

## (स) शाखावार कार्यालयीन व्यवस्था



टीप : शाखा प्रभारियों द्वारा संबंधित नस्तीयों सीधे जिला कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

## समय सीमा संबंधी विवरण :

क्र.	विवरण	प्रभारी अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही न होने पर सम्पर्ककर्ता अधिकारी	शिकायत के निराकरण की समयसीमा
1	अशासकीय संस्थाओं की गतिविधियों के अन्तर्गत	जिला स्तर पर जिला महिला बाल विकास अधिकारी	आवेदनका परीक्षण तथा कमियों से संस्था प्रमुख को अवगतकराया जाना 7 दिवस	कलेक्टर	15 दिन
अ	अनाथालय/निराश्रित बालगृह एवं बाल विकास केन्द्रों का संचालन, महिलाओं/बच्चों को कानूनी सलाह, पूर्णवास, प्रशिक्षण, दत्तक ग्रहण वैश्यावृत्ति उन्नमूलन।	—'—	संस्था का निरीक्षण 2 सप्ताह	कलेक्टर	15 दिन
ब	संगठनात्मक सहायता अल्पकालीन आवास गृह, राष्ट्रीय बाल कोष के अन्तर्गत किशोर बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना, राष्ट्रीय शिशुकक्ष (झूलाधर की स्थापना) आदि, योजनाओं के संचालन हेतु मान्यता और अनुदान की स्वीकृति।	बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला महिला बाल विकास अधिकारी संबंधित सहायक संचालक संचालनालय भोपाल	15 दिन में प्रस्ताव का परीक्षण कर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को प्रेषित करना 15 दिन के छानबीन कर अग्रेषण 30 दिन में छानबीन कर अग्रेषण	जिला महिला बाल विकास अधिकारी कलेक्टर संयुक्त संचालक संचालनालय	15 दिन 15 दिन 15 दिन
2	महिलाओं हेतु नारी निकेतन, महिला उद्धार गृह, अल्पकालीन निवास केन्द्र, संरक्षण गृह, वसती गृह में निराश्रित महिला, परित्यक्ता आदि को निःशुल्क आवास भोजन वस्त्र प्रशिक्षण सुविधा  निराश्रित बालगृह, बाल संरक्षण गृह, राजकीय अनुरक्षण गृह, मातृ कुटीर के तहत बच्चों का परिपालन एवं शिक्षा	अधीक्षिका शासकीय संस्था/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  अधीक्षिका शासकीय संस्था/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	1 आबंटन मई माह तक जारी 2 अतिरिक्त आबंटन कीमांग सितम्बर तक 3 परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रतिमाह 4 स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिमाह 1 आबंटन मई माह तक जारी 2 अतिरिक्त आबंटन कीमांग सितम्बर तक 3 परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रतिमाह 4 स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिमाह	कलेक्टर  कलेक्टर	15 दिन  15 दिन
3	समेकित बाल विकास परियोजनाओं के तहत आंगनवाडीयों में गरीब वर्ग के 6 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती, धात्री माताओं को पोषण आहार, व टीकाकरण व स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध करना।	बा0वि0परि0अधि0 एवं पर्यवेक्षक	नियमित पोषण आहार व टीकाकरण, निगरानी समिति की नियमित बैठक, पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी का सतत भ्रमण	जिला महिला बाल विकास अधिकारी बा0वि0परि0 अधिकारी	15 दिन

4	आयुष्मति योजना, राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना, एवं बालका शिशु समृद्धि योजना	नगर निगम (शहरी क्षेत्र) ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	एक माह	कलेक्टर (शहरी क्षेत्र) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन पद पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	15 दिन
5	समर्थ योजना – विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता के पुर्नवास के लिये प्रशिक्षण में मदद करना	जिला महिला बाल विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी	पात्र महिलाओं का चयन कर 1 माह में सहायता उपलब्ध कराना	कलेक्टर	15 दिन
6	ग्राम्या योजना, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को टंकण, फोटोकॉपी प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता 1 पात्र महिलाओं का चयन	जिला महिला बाल विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी	1 माह	कलेक्टर	15 दिन
	2 जिले के सहायता राशि उपलब्ध कराना.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी	15 दिवस	कलेक्टर	15 दिन
	3 महिला आर्थिक विकास निगम से सहायता	जिला महिला बाल विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी	15 दिवस	कलेक्टर	15 दिन
	समस्त विभागो / कार्यालयो के सामान्य विषय				
7	सेवा निवृत्ति / मृत्यु पर 1 अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिन
	2 सामान्य भविष्य निधि का भुगतान	—'—	तीन माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिन
	3 परिवार अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया)	—'—	तीन माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	7 दिन
	4 अन्य भुगतान	—'—	एक माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिन
8	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में नकल प्रदाय	कार्यालय / जिला संस्था प्रमुख	15 दिन	कलेक्टर / विभागाध्यक्ष	15 दिन
9	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अभिलेखों के अवलोकन की सूचना देना	—'—	15 दिन	कलेक्टर / विभागाध्यक्ष	15 दिन
10	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अभिलेखों के अवलोकन की सुविधा देना	—'—	15 दिन	कलेक्टर / विभागाध्यक्ष	15 दिन

टीप :- सूचना का अधिकार / सिटीजन चार्टर अधिनियम के अनुसार।

## कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम नियम रेगुलेशन मेन्यूअल की सूची

1. मध्य प्रदेश वेतन निर्धारण नियम
2. मध्य प्रदेश सर्विसेज मैनुअल
3. मध्यप्रदेश मूलभूत नियम भाग 1 व 2
4. मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता
5. मध्य प्रदेश विभागीय जॉच प्रक्रिया संहिता
6. मध्य प्रदेश अवकाश नियम
7. मध्य प्रदेश यात्रा भत्ता नियम
8. मध्य प्रदेश सेवा दैनिक कार्यभारित आकस्मिक कर्मचारी नियम
9. मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम
10. मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998
11. मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम
12. मध्य प्रदेश पेंशन नियम
13. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961
14. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966
15. कोषालय संहिता
16. वित्तीय शक्ति पुस्तिका भाग 1 एवं 2
17. नियुक्ति वरिष्टता तथा पदोन्नति
18. म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965
19. मध्य प्रदेश चिकित्सा परिचर्या नियम

**विभाग में संचालित योजना एवं उनसे संबंधित पंजीयों –**

योजना / शाखा	क्रँ	दस्तावेज का नाम	प्रकार	दस्तावेज का स्वरूप	समयावधि
2	1	3	4	5	6
स्थापना शाखा	1	स्थापना पंजी	रजिस्टर	स्थायी	5 वर्ष
	2	वेतन वृद्धि पंजी	रजिस्टर	स्थायी	5 वर्ष
	3	आकस्मिक अवकाश पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	4	पेंशन पंजी	रजिस्टर	स्थायी	5 वर्ष
	5	विभागीय जाँच पंजी	रजिस्टर	स्थायी	5 वर्ष
	6	आरक्षण पंजी	रजिस्टर	स्थायी	5 वर्ष
भंडार शाखा	7	स्थायी सामग्री पंजी	रजिस्टर	स्थायी	5 वर्ष
	8	अस्थायी सामग्री पंजी	रजिस्टर	स्थायी	5 वर्ष
लेखा पंजी	9	अस्थायी अग्रिम पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	10	त्योहार अग्रिम	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	11	अनाज अग्रिम	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	12	विभागीय भविष्य निधी पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	13	वृत्तीकर पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	14	आबंटन पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	15	यात्रा देयक पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	16	रोकड पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	17	चैक पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	18	देयक पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	19	आकस्मिक व्यय पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
	20	चिकित्सा देयक पंजी	रजिस्टर	स्थायी	1 वर्ष
शिकायत	21	शिकायत पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
आयोग	22	राज्य महिला आयोग पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	5 वर्ष
	23	मानव अधिकार आयोग पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	5 वर्ष
आवक / जावक	24	आवक पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
	25	जावक पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
	26	स्टेम्प पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
	27	टी0एल0आर0 पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
	28	विधान सभा पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
	29	अर्ध शासकीय पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
सिटीजन चार्टर	30	सिटीजन चार्टर पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
सूचना का अधिकार	31	सूचना का अधिकार पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
बैठक	32	बैठक पंजी	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
योजना	33	आयुष्मति योजना	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष
	34	अति गरीब प्रसवपूर्व सहायता योजना	रजिस्टर	अस्थायी	1 वर्ष

### डायरेक्टरी :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	पता	दूरभाष
1	श्रीमति रानी बाटड	प्रभारी जि.कार्य.अधि. मबावि	महिला एवं बाल विकास विभाग बैतूल	07141 - 230305
2	श्रीमति सुषमा शुक्ला	परियोजना अधिकारी	एकी0बा0वि0 परियोजना बैतूल	07141 - 234477
3	श्रीमति रूकमणी नागरे	परियोजना अधिकारी	एकी0बा0वि0 परियोजना आमला	07147 - 285621
4	श्रीमति मनोरमा येवले	परियोजना अधिकारी	एकी0बा0वि0 परियोजना भैसदेही	07143 - 287303
5	श्री व्ही0 पी0 गौर	परियोजना अधिकारी	एकी0बा0वि0 परियोजना चिचोली	07145 - 244242
6	श्रीमति कुमुद मदनकर	परियोजना अधिकारी	एकी0बा0वि0 परियोजना भीमपुर	07142 - 247457
7	श्रीमति वन्दना तिवारी	प्रभारी परियोजना अधिकारी	एकी0बा0वि0 परियोजना शाहपुर	07146 - 273184
8	श्रीमति प्रमिला माकोडे	प्रभारी परियोजना अधिकारी	एकी0बा0वि0 परियोजना धोडाडॉंगरी	07146 - 248227
9	श्रीमति हेमलता बोहरपी	प्रभारी परियोजना अधिकारी	एकी0बा0वि0 परियोजना आठनेर	07144 - 286294
10	श्री नरेन्द्र वर्मा	परियोजना अधिकारी	एकी0बा0वि0 परियोजना प्र0पट्टन	07147 - 256747
11	श्री नरेन्द्र वर्मा	प्रभारी परियोजना अधिकारी	एकी0बा0वि0 परियोजना मुलताई	07147 - 221330

### वेतन :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	पता	वेतन
1	श्री अशोक श्रीवास	स्था.सां.अधि.	जिला कार्यालय मबावि बैतूल	6300
2	श्री सूर्यकान्त बोरकुटे	सहा0ग्रेड 1	-'-	6350
3	श्री अरुण कुमार जोशी	सहा0ग्रेड 2	-'-	4400
4	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी	सहा0ग्रेड 2	-'-	4700
5	श्री अर्पण रमण त्रिवेदी	सहा0ग्रेड 2	-'-	4400
6	श्री अमोल कुमार दाभाडे	सहा0ग्रेड 2	-'-	4000
7	श्रीमति मन्जुला खडसे	ए0एन0एम0	-'-	4380
8	श्रीमति शाहिना सैय्यदा	कनि0 निर्दे0	-'-	4300
9	श्री शेख याकूब	वाहन चालक	-'-	4140
10	सुश्री अरुण अहाके	सहा0 ग्रेड 3	-'-	3050
11	श्री सुन्दरलाल हरसुले	भृत्य	-'-	3150
12	श्री सीताराम कनाटे	भृत्य	-'-	3280
13	श्री रमेश बारस्कर	भृत्य	-'-	3080
14	श्री रामा गावे	भृत्य	-'-	3020
15	श्री कमलेश धोडकी	भृत्य	-'-	2960
16	श्री मंशाराम सरैयाम	भृत्य	-'-	2550
17	श्री चितरन्जन दुबे	वा0चा0 (दौवे0भो0)	एकी0बा0वि0परि0 भीमपुर	2416
18	श्री राजेश पण्डोले	भृत्य ( दौवे0भो0 )	जिला कार्यालय मबावि बैतूल	2308
19	श्री शिवपाल हारोडे	भृत्य ( दौवे0भो0 )	एकी0बा0वि0परि0 प्रभातपट्टन	2308
20	श्री कालुराम पुण्ड	भृत्य ( दौवे0भो0 )	एकी0बा0वि0परि0 बैतूल	2308
21	श्री रमेश हारले	भृत्य ( दौवे0भो0 )	एकी0बा0वि0परि0 शाहपुर	2308
21	श्री मनमोहन केवट	भृत्य ( दौवे0भो0 )	एकी0बा0वि0परि0 आठनेर	2308

उपरोक्त सूची में अधिकारियों के मूल वेतन दिये गये है राज्य शासन के अनुसार मंहगाई भत्ता दिया जाता है।

## (अ) समितियों की जानकारी :-

क्रँ	समिती का नाम	समिती सदस्यों का विवरण	समिती का गठन	कारण
1	बाल विवाह रोको समिति	1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 2 परियोजना अधिकारी 3 थाना प्रभारी	जिला स्तर से	बाल विवाह रोकने हेतु
2	पोषण आहार योजना	1 कलेक्टर 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि०पं० 3 जि०कार्य०अधि०, म०बा०वि०	शासन स्तर से	पोषण आहार की समीक्षा
3	आयुष्मति योजना	1 कलेक्टर 2 मुख्य चिकि० एवं स्वास्थ्य अधि० 3 जि०कार्य०अधि०, म०बा०वि०	शासन स्तर से	आयुष्मति योजना की समीक्षा
4	कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीडन रोकने हेतु कार्यालयीन समिति	1 ( नाम से संबंधित) जि०कार्य० अधि०, म०बा०वि० 2 श्री राजेन्द्र कुमार सोनी, स०ग्रे० 2 3 श्री अरुण कुमार जोशी, स०ग्रे० 2 4 श्रीमति मंजुला खडसे, ए०एन०एम०	शासनादेशानुसार जिला स्तर से	कार्यालयीन यौनउत्पीडन की शिकायत निराकरण
5	तहसील स्तरीय उत्पीडन निवारण समिति	1 अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) 2 परियोजना अधिकारी 3 क्षेत्रिय स्तर पर चयनित प्रतिनिधि	शासनादेशानुसार जिला स्तर से	महिलाओं के विरुध हिंसा रोकने हेतु
6	बाल संजीवनी अभियान	1 कलेक्टर 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि०पं० 3 मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी 4 जि०कार्य०अधि०, म०बा०वि०	शासन स्तर से	कुपोषण रोकथाम एवं समीक्षा

टीप : उक्त समितियों द्वारा समय समय पर नियमानुसार कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है।

## (ब) संस्थाओं की जानकारी

क्रँ	संस्था का नाम	संस्था का कार्यक्षेत्र
1	आई.आर.ए. पलासखेड़ी ( भैसदेही )	भैसदेही
2	दीप दलितोद्धार संस्कार केन्द्र भैसदेही	भैसदेही
3	ग्रामोधोग वेलफेयर संस्था ग्राम गौना	आठनेर
4	झरनेश्वर महिला बाल विकास शिक्षण समिति	बैतूल
5	नमन सेवा समिति आठनेर	आठनेर
6	द्वारकापुरी सांस्कृतिक संस्था बैतूल	बैतूल
7	जाग्रति ग्रामोधोग वेलफेयर संस्था बैतूल	बैतूल
8	जय नारायण सर्वोदय विद्यालय करजगॉव	बैतूल
9	शिवोम सेवा समिति बैतूल	बैतूल
10	सहभागी उन्नति केन्द्र अक्लिखेडा	चिचोली
11	ग्राम भारती महिला मण्डल शोभापुर कालोनी पाथाखेडा जिला बैतूल	घोडाडोंगरी
12	मेनिज्म सोसायटीज बैतूल	बैतूल

## **विभाग द्वारा प्रदत्त सेवायें :-**

समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में कम जन्म भार, कुपोषण, मृत्युदर में कमी, टीकाकरण आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जाती हैं :-

### **1 पूरक पोषण-आहार कार्यक्रम :-**

योजना अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती व धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार के रूप में एम.पी.एगो द्वारा निर्मित पंजीरी/दलिया का प्रदाय किया जाता है। सामान्य वजन के बच्चों को 80 ग्राम एवं कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती व धात्री महिलाओं को 160 ग्राम पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है।

### **2 स्वास्थ्य जाँच :-**

स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती व धात्री माताओं की स्वास्थ्य जाँच कराई जाती है, तथा आवश्यकता होने पर आयरन फोलिक टेबलेट आदि उपलब्ध कराई जाती है।

### **3 टीकाकरण :-**

स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती व धात्री माताओं का टीकाकरण करवाया जाता है। ताकि गंभीर एवं जानलेवा बिमारियों से बचाव हो सके।

### **4 स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा :-**

स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती व धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं, ताकि हितग्राहीजन दैनिक जीवन में स्वच्छता से रहे।

### **5 स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा :-**

स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के उद्देश्यवत अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमें उनको दैनिक जीवन यापन तथा सामाजिक जागरूकता सम्बन्धी जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं।

### **6 स्वास्थ्य की देखभाल एवं परामर्श सेवायें :-**

स्वास्थ्य की देखभाल एवं परामर्श कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें ग्रामीणों के दैनिक जीवन यापन में स्वास्थ्य की जागरूकता होवे।

## **(अ) विभाग द्वारा संचालित योजनायें :-**

### **1 आयुष्यमति योजना :-**

आयुष्यमति योजना के अन्तर्गत गरीब व ग्रामीण भूमिहीन परिवार की बीमार महिलाओं को एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 400.00 एवं एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000.00 रुपये दवाई के रूप में व्यय किया जाकर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना पूर्व में जिला चिकित्सालय स्तर पर लागू थी, किन्तु अब इसका व्यापक प्रसार कर इसे विकासखण्ड स्तर पर भी लागू किया गया है।

### **2 राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना :-**

राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को प्रथम दो (02) प्रसव पर 500.00 की आर्थिक सुविधा प्रदान की जाती है, योजना मूलतः पंचायत विभाग की है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकरण तैयार कर पंचायत के माध्यम से राशि प्रदान करवाई जाती है।

### **3 अति गरीब महिलाओं हेतु प्रसव पूर्व सहायता योजना :-**

अति गरीब परिवार की पीला कार्ड धारी महिलाओं को प्रथम दो (02) प्रसव हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रसव पूर्व 500.00 की आर्थिक सुविधा प्रदान की जाती है। शासन द्वारा यह योजना मार्च, 2005 से प्रारंभ की गई है।

#### 4 बालिका शिशु समृद्धि योजना :-

योजना अंतर्गत गरीब व ग्रामीण परिवार में जन्मी प्रथम दो बालिकाओं को 500.00 की मदद की जाती है, राशि हितग्राही के पालक एवं परियोजना अधिकारी के संयुक्त खाते में 18 वर्ष के लिये जमा की जाती है, ताकि भविष्य में बालिका एक मुश्त राशि का उपयोग कर सके। वर्तमान में योजना पर रोक है।

#### 5 किशोरी शक्ति योजना :-

किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की उम्र की बालिका को प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें सामाजिक/आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं स्वास्थ्य की देखभाल हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

#### 6 सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र :-

शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के सहायतार्थ महिलाओं एवं बालिकाओं को सिलाई का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करवाया जाता है, जिससे महिलायें / बालिकायें आत्मनिर्भर हो सकें।

#### 7 स्व सहायता समूह योजना :-

स्व सहायता समूह योजना के तहत 10-10 महिलाओं का समूह तैयार किया जाता है, जिससे महिलायें अपनी सामर्थ्य के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिये प्रतिमाह राशि जमा करती हैं तथा जमा राशि से विविध आर्थोपाजन कार्य किये जाते हैं, अथवा समूह सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण के रूप में राशि प्रदान की जाती है।

#### 8 ग्राम्या योजना :-

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लघु व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु 500.00 तक की राशि बिना ब्याज के रूप में प्रदान की जाती है, जिसकी नियमित आसान मासिक किश्तों में वसूली की जाती है।

#### 9 दत्तक पुत्री शिक्षा योजना :-

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ग्राम के ही व्यक्ति को एक वर्ष के लिये बालिका को गोद दिलवाकर शिक्षा हेतु समस्त खर्चों को वहन किया जाता है, ताकि बालिकायें नियमित स्कूल जाकर शैक्षणिक योग्यता में उत्तरोत्तर वृद्धि करें।

#### (ग) विशेष :-

##### बाल संजीवनी अभियान :-

कुपोषण के बचाव एवं निदान कार्यक्रम के तहत " बाल संजीवनी अभियान " चलाकर कुपोषण के स्तर में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है, गत अभियानों का विवरण निम्नानुसार है:-

अभियान	दिनांक	कुल बच्चे	सामान्य	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
प्रथम	23.9.01 – 28.9.01	132645	38.53	36.12	21.13	3.67	0.55
द्वितीय	14.9.02 – 20.2.02	125421	39.83	37.35	21.24	2.15	0.23
तृतीय	16.9.02 – 20.9.02	126856	40.94	37.26	19.61	1.96	0.23
चतुर्थ	5.5.03 – 11.5.03	127277	41.42	38.21	19.04	1.19	0.14
पंचम	12.7.04 – 31.7.04	127254	40.76	38.58	19.44	1.89	0.13
छटवाँ	15.2.05 – 15.4.05	142354	45.92	37.55	15.65	0.79	0.07
सातवाँ	15.10.05 – 14.11.05	146333	45.00	37.43	16.63	0.84	0.10